

भारतीय कारागार व्यवस्था में परिवर्तन

यह संपादकीय 21/11/2024 को 'द हट्टू' में प्रकाशित "The long fight for accessibility, dignity in Indian prisons" पर आधारित है। यह लेख भारत में दवियांग कैदियों द्वारा झेली जाने वाली व्यवस्थागत उपेक्षा और दुर्व्यवहार को उजागर किया गया है। न्यायिक नरिदेशों और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के बावजूद, कारागार/जेल की स्थिति भयावह बनी हुई है, विशेषकर कमजोर कैदियों के लिये।

प्रलिस के लिये:

[भारतीय कारागार व्यवस्था, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 39A, कारागार अधिनियम, 1894, आदरश कारागार अधिनियम, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दवियांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, 2016, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, न्यायमूर्ति अमिताभ राय समिति, कृष्णा अय्यर समिति](#)

मेन्स के लिये:

भारत में कारागार वनियमन, भारत में कारागारों से संबंधित प्रमुख मुद्दे।

भारतीय कारागार व्यवस्था प्रणालीगत वफिलताओं का एक स्पष्ट प्रमाण है, जिसमें **लगातार भीडभाड, मानवाधिकारों का उल्लंघन और मौलिक कैदी कल्याण की नरिंतर उपेक्षा शामिल है।** 1980 के दशक से कई न्यायिक हस्तकषेपों और नीतगित सफारशों के बावजूद, कारागारों/जेल की स्थिति भयावह बनी हुई है, जहाँ सुवधिएँ अपनी इच्छति कृषमता से कहीं अधिक संचालति हो रही हैं। प्रणालीगत वफिलता वशेष रूप से **कमजोर आबादी** (जैसे कि दवियांग कैदी, जिन्हें अत्यधिक हाशयि पर रखा जाता है और बुनयिादी मानवीय सम्मान से वंचति कयिा जाता है) के साथ होने वाले व्यवहार में स्पष्ट है जिसपर सबसे अधिक ध्यान देने की आवशुकता है।

भारत में कारागारों का वनियमन कसि प्रकार कयिा जाता है?

संवैधानिक प्रावधान:

- **अनुच्छेद 21:** यह कैदियों को यातना और अमानवीय व्यवहार से बचाता है। यह कैदियों के लिये समय पर सुनवाई भी सुनश्चिति करता है।
- **अनुच्छेद 22:** गरिफ्तार व्यक्तिको उसकी गरिफ्तारी के कारणों के बारे में तुरंत सूचिति कयिा जाना चाहयि और उसे अपनी पसंद के वकील से परामरश करने तथा बचाव कराने का अधिकार है।
- **अनुच्छेद 39A:** कानूनी प्रतनिधित्व का खर्च वहन करने में असमर्थ लोगों को न्याय सुनश्चिति करने के लिये **नशिलक कानूनी सहायता** सुनश्चिति करता है।

कानूनी ढाँचा:

- **कारागार अधिनियम, 1894:** बरटिशि शासन के दौरान अधिनियमति कारागार अधिनियम, भारत में जेल प्रबंधन के लिये आधारभूत कानूनी ढाँचे के रूप में कार्य करता है।
 - यह **कैदियों की हरिसत और अनुशासन पर कंरति है**, लेकिन इसमें पुनरवास तथा सुधार के प्रावधानों का अभाव है।
- **कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920:** यह कानून कैदियों की पहचान प्रकरयिा और बायोमेट्रिक डेटा के संगरह को नयितरति करता है।
- **कैदियों का स्थानांतरण अधिनियम, 1950:** यह वभिन्नि राज्यों और अधिकार कषेत्रों के बीच कैदियों के स्थानांतरण के लिये दशिा-नरिदेश प्रदान करता है।

नरिीकृषण तंत्र:

- **न्यायकि नगरिानी:** भारतीय न्यायपालकिा जनहति याचकिाओं (PIL) और कैदियों के अधिकारों से संबंधति वशेषित मामलों के माध्यम से **जेल की स्थतियिों की नगरिानी करने में महत्त्वपूर्ण भूमकिा** नभित्ती है।
 - उदाहरण के लिये, [\[1997\] 10 SCC 626 \(1997\)](#) में सर्वोच्च न्यायालय ने गरिफ्तारी और हरिसत के लिये सख्त प्रोटोकॉल का नरिदेश दयिा था।
 - सर्वोच्च न्यायालय के हालयिा नरिदेशों में राज्यों द्वारा मानवाधिकार मानकों का अनुपालन सुनश्चिति करने की आवशुकता पर बल दयिा गया है।
- **संबंधति अंतर्राष्ट्रीय ढाँचे:** कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते और सम्मेलन कैदियों के उपचार तथा यातना की रोकथाम के लिये वैश्वकि मानक नरिधारति करते हैं, जनिमें शामिल हैं:

दिया जाता है।

- जेलों में बंद 23,772 महिलाओं में से **18,146 (76.33%)** वचाराधीन हैं।
- रपिपोर्टों से पता चलता है कि **महिला कैदी** विशेष रूप से कारागार कर्मचारियों और पुरुष कैदियों दोनों से **यौन दुरव्यवहार एवं उत्पीडन का शिकार** होती हैं।
- **कई बंदीगृहों में महिला गार्डों की अनुपस्थिति इस समस्या को और बढ़ा देती है**, जिससे महिलाओं को दुरव्यवहार के वरिद्ध परयाप्त सुरक्षा या सहारा नहीं मलि पाता है।
- इसके अतरिकित, जेलों में गर्भवती महिलाओं को प्रायः **उचित प्रसवपूर्व देखभाल** और सहायता सेवाओं का अभाव रहता है, जो महिला कैदियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रणालीगत वफिलता को उजागर करता है।

जेल सुधार से संबंधित प्रमुख न्यायिक घोषणाएँ क्या हैं?

- **हुसैनआरा खातून बनाम गृह सचिव (बिहार):** सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि निरिधन आरोपी व्यक्तियों को नषिपक्ष सुनवाई का अधिकार सुनिश्चित करने के लिये **नशिलुक कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिये**।
- **चार्ल्स शोभराज बनाम सेंटरल जेल अधीक्षक:** सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किसी के जेल में बंद होने मात्र से उसके मौलिक अधिकारों को नहीं छीना जा सकता।
 - जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखना मानवाधिकारों का उल्लंघन घोषित किया गया।
- **सुनील बत्रा बनाम दलिली प्रशासन (वर्ष 1978):** इस मामले में यह पुष्टि की गई कि कैदियों को उनके मौलिक अधिकार तब तक प्राप्त हैं जब तक कि वे कारावास के साथ संघर्ष नहीं करते हैं, जिसमें क्रूर और अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा भी शामिल है।
- **राममूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य (वर्ष 1997):** न्यायालय ने जेलों में भीड़भाड़, वलिंबति सुनवाई, स्वास्थ्य की उपेक्षा और दुरव्यवहार जैसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान दिया तथा सरकार से सुधार लागू करने का आग्रह किया।

भारत की जेल प्रणाली में सुधार के लिये कौन-सी रणनीति अपनाई जा सकती है?

- **बुनियादी अवसंरचना और सुगम्यता सुधार:** जुलाई 2024 के गृह मंत्रालय के सुगम्यता दिशा-निर्देशों को लागू किया जा सकता है, जिससे जेल के बुनियादी अवसंरचनाओं के लिये सार्वभौमिक डिजाइन सिद्धांतों का निर्माण हो सके जो दवियांग कैदियों के लिये उपयुक्त हों।
 - **मॉड्यूलर जेल डिजाइन** वकिसति किये जाने चाहिये जिससे कुशल स्थान उपयोग के माध्यम से भीड़भाड़ को कम किया जा सके और वभिन्न कैदी श्रेणियों के लिये अलग-अलग क्षेत्र बनाए जा सकें।
 - संधारणीय जेल अवसंरचना में निवेश किया जाना चाहिये जिसमें **नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और पारस्थितिक पुनर्वास कार्यक्रम** शामिल हों।
 - **महिलाओं, वृद्ध जनों और दवियांग कैदियों** सहित कमजोर आबादी के लिये विशेष आवास इकाइयाँ बनाए जाने चाहिये।
 - बहुउद्देश्यीय स्थान वकिसति किये जाने चाहिये जो शिक्षा, कौशल विकास और मनोवैज्ञानिक परामर्श की सुविधा प्रदान कर सकें।
- **न्यायिक प्रक्रिया में तेज़ी और कानूनी सहायता: प्रौद्योगिकी-सक्षम मामला प्रबंधन प्रणालियों** और विशेषीकृत फास्ट-ट्रैक अदालतों के माध्यम से मुकदमों में तेज़ी लाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक व्यापक न्यायिक सुधार रणनीति को लागू किया जाना चाहिये।
 - **प्रत्येक 30 कैदियों के लिये एक वकील की न्यायमूर्ति अमिताभ राय समिति** की सफिरशि को अपनाया जाना चाहिये, जिससे एक सुदृढ़ कानूनी सहायता तंत्र तैयार हो सके जो वचाराधीन कैदियों के लिये सार्थक कानूनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सके।
 - **1978 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले (1978) से प्रेरणा लेते हुए** अगरमि जमानत तंत्र का वसितार किया जाना चाहिये, ताकि अनुपातिक सज़ा वकिल्प प्रदान करते हुए न्यायिक लंबित मामलों को कम किया जा सके।
- **व्यापक पुनर्वास और कौशल विकास: अनविर्य व्यावसायिक प्रशिक्षण, शैक्षिक कार्यक्रम और मनोवैज्ञानिक परामर्श को लागू करके जेलों को डंडात्मक संस्थानों से पुनर्वास केंद्रों में बदलने की आवश्यकता है।**
 - **उद्योगों के साथ सार्वजनिक-नजी साझेदारी** वकिसति किये जाना चाहिये ताकि जेल-आधारित कौशल विकास कार्यक्रम बनाए जा सकें जो रहिई के बाद रोजगार के अवसरों की गारंटी दे सकें।
 - **एक विशेष भारतीय कारागार एवं सुधार सेवा बनाने के लिये मुल्ला समिति** की सफिरशियों को लागू किया जाना चाहिये, जो जेल कर्मचारियों के लिये पुनर्वास-उन्मुख प्रशिक्षण पर ज़ोर देती है।
 - संस्थागत आघात से निपटने और पुनरावृत्ति को कम करने के लिये **अनविर्य मानसिक स्वास्थ्य जाँच, परामर्श तथा नरितर मनोवैज्ञानिक सहायता कार्यक्रम** शुरू किये जाने चाहिये।
- **प्रौद्योगिकी-सक्षम जेल प्रबंधन:** एक व्यापक **जेल प्रबंधन सूचना प्रणाली (PMIS)** बनाया जाना चाहिये।
 - पारदर्शी संस्थागत रिकॉर्ड बनाए रखते हुए कैदियों की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिये **ब्लॉकचेन-आधारित सुरक्षित डेटा प्रबंधन प्रणाली** को लागू किया जाना चाहिये।
 - **एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल केस ट्रैकिंग प्रणाली** वकिसति किये जाना चाहिये जो वचाराधीन अवधि पर नज़र रखे तथा उचित समय-सीमा से अधिक समय तक लंबित मामलों के लिये स्वचालित रूप से समीक्षा तंत्र सक्रिय करे।
 - मामले की जटिलताओं का पूर्वानुमान लगाने और न्यायिक संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने के लिये **कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा मशीन लर्निंग** का लाभ उठाए जाने की आवश्यकता है।
 - विशेष स्वास्थ्य देखभाल सुविधा उपलब्ध कराने के लिये **टेलीमेडिसिन अवसंरचना** का विकास किया जाना चाहिये, विशेष रूप से दूर-दराज़ के स्थानों पर या सीमति चकित्सा सुविधाओं वाले कैदियों के लिये।

- **पारदर्शी संस्थागत नगिरानी:** एक स्वतंत्र जेल लोकपाल की स्थापना की जानी चाहिये, जिसके पास अघोषित नरीकषण करने, मानवाधिकार उल्लंघनों की जाँच करने और प्रणालीगत सुधारों की सफिररशि करने की शक्तयिँ हँ ।
 - जेल की स्थिति, पुनर्र्वास के आँकड़े और संस्थागत चुनौतयिँ का **वविरण देने वाली त्रैमासकि सार्वजनकि ररपौर्ट** अनविर्य की जानी चाहयि ।
 - संस्थागत कदाचारों की ररपौर्ट करने के लयि जेल कर्र्मचारयिँ और कैदयिँ के लयि एक व्यापक मुखबरि सुरकषा तंत्र वकिसति कयि जाना चाहयि ।
- **वशिषिट कैदी प्रबंधन दृषटकिरण:** वभिनिन कैदी श्रेणयिँ के लयि लकषति हस्तकषेप रणनीतवकिसति कयि जाना चाहयि, जसिमें **पहली बार अपराध करने वालों, दीर्घकालकि कैदयिँ और संभावति कटटरपंथीकरण जोखमि वाले लोगों के लयि वशिषि कार्यकर्र्म शामिल हैं ।**
 - **महलियाँ और बाल अपराधयिँ के लयि वशिषि सहायता हेतु कृषणा अय्यर समति** की सफिररशिों को लागू कयि जाना चाहयि, जसिमें लगि-संवेंदनशील बुनयिादी अवसंरचना तथा पुनर्र्वास दृषटकिरण शामिल हँ ।

नषिकर्र्ष:

समय की सबसे बड़ी मांग है कहिम अपनी आपराधकि न्याय प्रणाली (CJS) को अधिक कुशल और प्रभावी तंत्र में बदलें । इसके लयि जेल सुधारों से परे **व्यापक बदलाव की आवश्यकता** है । पुनर्र्वास को प्राथमकिता देकर, मानसकि स्वास्थ्य सेवाओं में नविश करके और सभी कैदयिँ के अधिकारों की रकषा करके, हम एक ऐसी न्याय व्यवस्था स्थापति कर सकते हँ जो न्यायपूरण एवं मानवीय दोनों हो । हमारे समाज का भवषिय आपराधकि न्याय के पूरे स्पेकर्र्म में सारथक सुधारों को लागू करने की हमारी कषमता पर नर्रिभर करता है ।

???????? ???? ?????:

प्रश्न. भारतीय कारागार व्यवस्था के समकष आने वाली चुनौतयिँ पर चर्र्चा कीजयि तथा इसके प्रभावी सुधार के लयि उपाय प्रस्तावति कीजयि ।

UPSC सविलि सेवा परीकषा, वगित वर्र्ष के प्रश्न

प्रश्न 1. मृत्यु दंडादेशों के लघूकरण में राष्ट्रपति के वलिंब के उदाहरण न्याय प्रत्याख्यान (डनियल) के रूप में लोक वाद-वविाद के अधीन आए हँ । क्या राष्ट्रपति द्ववारा ऐसी याचकिाओं को स्वीकार करने/अस्वीकार करने के लयि एक समय-सीमा का वशिषि रूप से उल्लेख कयि जाना चाहयि? वशि्लेषण कीजयि । (2014)

प्रश्न 2. भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) सर्वाधिक प्रभावी तभी हो सकता है, जब इसके कार्यों को सरकार की जवाबदेही को सुनशिचति करने वाले अन्य यांत्रकित्तवों (मकैनज्रिम) का पर्याप्त समर्र्थन प्राप्त हो । उपरोक्त टपिपणी के प्रकाश में, मानव अधिकार मानकों की प्रोननतकिरण और उनकी रकषा करने में, न्यायपालकिा एवं अन्य संस्थाओं के प्रभावी पूरक के तौर पर, एन.एच.आर.सी. की भूमकिा का आकलन कीजयि । (2014)